

क्रमांक एफ.2(28)/DOIT&C/2025

जयपुर, दिनांक:

कार्यालय आदेश

स्व. श्री प्रहलाद, (भू0पू0 हैड कानि0 984), अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) पुलिस आयुक्तालय जयपुर राजस्थान, का राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 26.02.2024 को निधन हो गया था। इनके पुत्र श्री प्रवेश जबल (SC) को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने हेतु प्रकरण शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, जयपुर (राज.), से दिनांक 10.01.2025 को इस विभाग में प्राप्त हुआ। अतः श्री प्रवेश जबल को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत **आयुक्तालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय जयपुर, (राज.)** में राजस्थान राज्य कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत **सूचना सहायक के पद पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Fixed Remuneration To Probationer Trainees)** के रूप में नियुक्त/पदस्थापित किया जाता है।

श्री प्रवेश जबल को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15(1)एफडी(रूल्स)/2017, दिनांक 30.10.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान (संशोधित) नियम 2017 के परिपत्र एफ14(1) एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 09.12.2017 के अन्तर्गत **Schedule IV(Rule No.16) नियत पारिश्रमिक (Fixed remuneration) रुपये 18500/- प्रति माह की दर से देय होंगे।** इसके अतिरिक्त उक्त परिवीक्षा अवधि में अन्य भत्ते तथा मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इन्हें सूचना सहायक के पद का **Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017** के अनुसार नियमित वेतन श्रृंखला पे-मैट्रिक्स **Level-08 (First cell)** का न्यूनतम वेतनमान 26300/- रुपये निर्धारित किया गया है एवं भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.5(51)डीओपी/ए-11/88, पार्ट दिनांक 07.09.2009 के अनुसरण में श्री प्रवेश जबल को 3 वर्ष के भीतर स्थायीकरण के लिये हकदारी हेतु राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 के अन्तर्गत हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में 20 शब्द प्रति मिनट टंकण की गति परीक्षा निर्धारित समयावधि में उत्तीर्ण करनी होगी और ऐसा न होने पर श्री प्रवेश जबल की नियुक्ति समाप्त होने के दायित्वाधीन होगी। जब तक श्री प्रवेश जबल ऐसी अर्हताएं अर्जित नहीं कर लेते, तब तक उन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धियां अनुज्ञात नहीं की जायेगी। ऐसी अर्हताएं अर्जित करने पर ही नियुक्ति तारीख से काल्पनिक रूप से वेतन वृद्धियां अनुज्ञात की जायेगी, किन्तु किसी बकाया का संदाय नहीं किया जायेगा।

श्री प्रवेश जबल द्वारा प्रस्तुत **माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान 2007** की अंकतालिका के क्रमांक सं **0258129** के अनुसार इनकी जन्म तिथि **14.11.1992 (चौदह नवंबर उन्नीस सौ बानवे)** है। यह नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है एवं एक माह के नोटिस पर किसी भी पक्षकार द्वारा समाप्त की जा सकती है।
2. यह नियुक्ति स्वास्थ्य एवं चाल-चलन ठीक प्रमाणित होने की शर्त पर दी जा रही है इसके लिए इनको कार्यभार सम्भालने की दिनांक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं दो राजपत्रित अधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र (जो कि छः माह से पूर्व के नही हो) प्रस्तुत करने होंगे।
3. श्री प्रवेश जबल द्वारा राज्य सेवा के दौरान मृतक कर्मचारी के अन्य आश्रितों का उचित तौर पर भरण-पोषण नहीं करने की स्थिति में तथा प्रस्तुत शपथ-पत्रों व दस्तावेजों के मिथ्या पाये जाने की जानकारी होने पर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।



4. इन्हे प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि के दौरान एवं कैलेण्डर वर्ष में 15 आकस्मिक अवकाश देय होंगे। एक वर्ष से कम की अवधि में पूर्ण माहों के लिए एक आकस्मिक अवकाश प्रतिमाह की दर से देय होगा।
5. कार्यग्रहण करते समय अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु संलग्न 'प्रपत्र-ए' में शपथ पत्र 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल ई-स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।
6. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीक्षा अवधि में संतोषप्रद नहीं पाया गया तो, उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
7. अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर आवंटित कार्यालय/विभाग में अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करें। निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने तथा कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की दशा में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जाएगा।
8. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-I में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
9. श्री प्रवेश जबल को प्रोबेशनर ट्रेनी के दौरान स्थिर पारिश्रमिक के अलावा महंगाई भत्ता, विशेष भत्ते, मकान किराया भत्ता, वाहन भत्ता, बोनस तथा अन्य किसी प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगे।
10. चिकित्सा पुनर्भरण के स्थान पर आर.जी.एच.एस योजना लागू होगी।
11. नियुक्ति पर पेंशन के संबंध में नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा जारी प्रावधान लागू होंगे।
12. श्री प्रवेश जबल को कार्यग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fixed Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।

(संजय जगदीश कर्णिक)
संयुक्त सचिव एवं कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर को पत्र क्रमांक-प.21(3अ) कार्मिक(क-2)/2023/12429247, दिनांक 13.12.2024 के क्रम में।
3. संयुक्त शासन सचिव, पुलिस गृह (गुप-1) विभाग, राजस्थान को आपके पत्र क्रमांक प.22(91)गृह-1/2024 दिनांक 27.12.2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
4. कार्यालयाध्यक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
5. पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, आयुक्तालय जयपुर को आपके पत्र क्रमांक 9243, दिनांक 22.08.2024 के क्रम में।
6. प्रभारी अधिकारी (वेबसाइट), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
7. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, (स्थानान्तरण/पदस्थापन शाखा) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
8. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (पदोन्नति शाखा), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
9. आहरण एवं वितरण अधिकारी, (भुगतान शाखा), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
10. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (उपस्थिति पंजिका), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
11. श्री प्रवेश जबल पुत्र स्व. श्री प्रहलाद, (भू0पू0 हैड कानि0 984), निवासी:- ऐ4, भारतेन्दु नगर खातीपुरा, जयपुर, राजस्थान, पिन 302012,। (रजिस्टर्ड, ए.डी.), मो. 9166637447, ई-मेल: praveshk799my@gmail.com, को प्रेषित कर लेख है कि आप मूल दस्तावेज एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ आयुक्तालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय जयपुर, (राज.) में उपस्थित प्रस्तुत करें।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।

संस्थापन अधिकारी